

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-14/2020- 3032 व०प०, राँची, दिनांक- 01/10/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

विषय :- मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत ग्राम-पोखराहा खुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय निर्माण हेतु 9.71 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव संख्या-FP/JH/Sch/27020/2017 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-557 दिनांक-10.08.2020 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नक सहित) संलग्न है। प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड, राँची का मंतव्य संलग्न नहीं है। प्राप्त होने पर अलग से प्रेषित की जायेगी।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है:-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुने अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) CWLW द्वारा यदि किसी शर्त को अधिरोपित करने की अनुशंसा की जाती है, तो इसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।
- (5) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

h. 11/10/2020
(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि-14/2020- 3032 व०प०, राँची, दिनांक- 01/10/2020

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि-14/2020- 3032 व०प०, राँची, दिनांक- 01/10/2020

प्रतिलिपि-सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि-14/2020- 3032 व०प०, राँची, दिनांक- 01/10/2020

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/प्रधानाध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, नवाटोली, डालटनगंज, पलामू-822101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

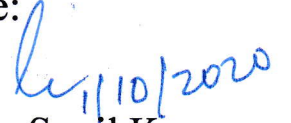
Diversion of 9.71 ha of Forest Land(Jungle Jhari) for construction of Jawahar Navodaya Vidyalaya at Vill-Pokhraha Khurd in Medininagar Forest Division under Palamau district, Jharkhand.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 9.71 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 3032 dated-...01/10/2020...

Signature:



Name & Designation: Sunil Kumar
(O.S.D)

Forest, Environment & Climate
Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Date: 01/10/2020

Place: Ranchi

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)